



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102021-230560
CG-DL-E-21102021-230560

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4018]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 20, 2021/आश्विन 28, 1943

No. 4018]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 20, 2021/ASVINA 28, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2021

का.आ. 4368(अ).—यतः, भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग), भारत सरकार के का.आ. संख्या 2077 दिनांक 04 अगस्त, 1997 के आदेश के अधिक्रमण के लिए कतिपय आदेश मसौदा को निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) के साथ पठित निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 6 के अंतर्गत आवश्यकतानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 22 फरवरी, 2021 को भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) के का.आ. संख्या 831(अ.), दिनांक 22 फरवरी, 2021 द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, उक्त मसौदा आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि तक इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए।

और यतः, उक्त मसौदा आदेश वाले राजपत्र की प्रतियां 22 फरवरी, 2021 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, यतः, उक्त प्रस्ताव पर जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विधिवत विचार किया गया है;

और, यतः, सर्वोच्च गुणवत्ता मानदंडों को बनाए रखना एवं स्वास्थ्य अपेक्षाओं को निर्धारित करना आवश्यक है जो आयातक विनियामक प्राधिकारियों की अपेक्षा को सम्मिलित करेगी;

और, यतः, स्वास्थ्य अपेक्षाएं अंडा और अंडा उत्पादों के उत्पादन, भण्डारण एवं परिवहन के लिए निर्धारित की जानी चाहिए, और यतः विशेष रूप से यह महत्वपूर्ण है कि प्रतिष्ठानों के अनुमोदन को शासित करने वाले नियम निर्धारित किए जाएं;

और, यतः, यह भी महत्वपूर्ण है कि अंडा एवं अंडा उत्पादों द्वारा पूरी की जाने वाली स्वास्थ्य अपेक्षाएं निर्धारित की जाएं;

और, यतः, मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करना प्रसंस्करणकर्ता की जिम्मेदारी है कि अंडा और अंडा उत्पाद इस आदेश में निर्धारित स्वास्थ्य अपेक्षाओं को पूरा करें और यतः सक्षम प्राधिकारी को गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और निगरानी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रसंस्करणकर्ता उपरोक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करें; और, यतः इन गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और निगरानी को शासित करने वाले नियम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांगों को ध्यान में रखेंगे;

और, यतः, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्वों के अपशिष्टों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक औचक जांच की जाएगी;

और, यतः, आयातक देशों की अपेक्षाओं के संदर्भ के साथ समरूपता की उपरोक्त स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए निगरानी हेतु प्रावधान किए जाने चाहिए;

और, यतः, केंद्र सरकार नामित सक्षम प्राधिकारी को देश में गुणवत्ता मानकों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए;

इसलिए, अब, निर्यात निरीक्षण परिषद (गुणवत्ता, नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के का. आ. संख्या 2077 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या लोप की गई कार्यवाई को छोड़कर, निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है एतद्वारा; -

- (क) अधिसूचित करती है कि निर्यात से पूर्व अंडा और अंडा उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण या निरीक्षण या दोनों के अध्यक्षीन होंगे;
- (ख) विनिर्दिष्ट करती है कि गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण एवं निगरानी के प्रकार अंडा एवं अंडा उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता, नियंत्रण, निरीक्षण एवं निगरानी) नियम, 2021 के अनुरूप गुणवत्ता, नियंत्रण, निरीक्षण और निगरानी के प्रकार के रूप में निर्यात से पूर्व अंडा और अंडा उत्पादों पर लागू होगा;
- (ग) विनिर्देशनों को मान्यता प्रदान करता है, -
 - (i) कोडेक्स एलिमेंटारियस आयोग के कोडेक्स मानकों के अभाव में आयातक देशों को राष्ट्रीय मानक
 - (ii) (i) के अभाव में, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अधिनियम, 2006 तथा इसके तहत बनाए गए नियम एवं विनियम में विहित विनिर्देशन लागू होंगे;
 - (iii) उपरोक्त (i) एवं (ii) के अभाव में, विदेशी खरीददार और निर्यातकों के मध्य संविदात्मक विनिर्देश लागू होंगे, बशर्ते वह राष्ट्रीय मानकों से निम्न न हो;
 - (iv) किसी भी अंडा और अंडा उत्पाद जिसके लिए कोई मानक उपरोक्त (i), (ii) और (iii) में उपलब्ध नहीं है; के मामले में निम्नलिखित सदस्यों की स्थायी समिति द्वारा इन उत्पादों के लिए तैयार किए गए मानकों को लागू किया जाएगा; अर्थात् :-

1.	अध्यक्ष, निर्यात निरीक्षण परिषद	अध्यक्ष
2.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि	सदस्य
3.	पशुपालन और डेयरी विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
4.	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	इंडियन एग एसोसिएशन के प्रतिनिधि	सदस्य

6.	निर्यात निरीक्षण परिषद के प्रतिनिधि	सदस्य
----	-------------------------------------	-------

(घ) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान अंडा और अंडा उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है जब तक कि यह इसके लिए लागू मानकों के अनुरूप न हो और निर्यात के लिए इस तरह के अंडा और अंडा उत्पाद का प्रत्येक परेक्षण अभिकरण द्वारा जारी किए गए निर्यात योग्यता प्रमाण पत्र के साथ न हो;

(ङ) अंडों के चूर्ण में एंटीबायोटिक्स, आर्गेनोक्लोरीन यौगिकों और पइरेथ्रोइड्स के लिए निम्नलिखित अधिकतम अवशिष्ट (एमआरएल) सीमा निर्धारित करती है :-

(1) एंटीबायोटिक्स :

एंटीबायोटिक्स	अधिकतम अवशेष सीमाएँ
इरिथ्रोमाइसिन	150 माइक्रोग्राम / किग्रा
टाइलोसिन	200 माइक्रोग्राम / किग्रा
लिनकोमाइसिन	50 माइक्रोग्राम / किग्रा
निओमाइसिन	500 माइक्रोग्राम / किग्रा
कोलिस्टिन	300 माइक्रोग्राम / किग्रा
क्लोरटेट्रासाइक्लिन	200 माइक्रोग्राम / किग्रा
ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन	200 माइक्रोग्राम / किग्रा
टेट्रासाइक्लिन	200 माइक्रोग्राम / किग्रा
स्पेक्टिनोमाइसिन	200 माइक्रोग्राम / किग्रा
टियाम्यूलिन	1000 माइक्रोग्राम / किग्रा
जोसामाइसिन	200 माइक्रोग्राम / किग्रा
ऑक्सालिनिक एसिड	50 माइक्रोग्राम / कि.ग्रा

(2) परजीवी रोधी एजेंट पिपराजिन डेरिवेटिव

एंटी पिपराजिन एजेंट	एमआरएल
पिपराजिन	2000 माइक्रोग्राम / किग्रा
फ्लूबेन्डाजोल	400 माइक्रोग्राम / किग्रा
एम्प्रोलियम	1000 माइक्रोग्राम / किग्रा

(3) आर्गेनोक्लोरीन यौगिक

यौगिक	एमआरएल (मिलीग्राम/किग्रा)
डिलड्रिन के रूप में प्रकाशित संयुक्त एल्लिड्रिन एवं डिलड्रिन	0.02 (संयुक्त सीमा)
क्रोथालोनिल	0.01
डीडीटी (सभी आइसोमर्स)	0.05 (संयुक्त सीमा)

डायकोफोल (पी,पी' तथा ओ,पी आइसोमर्स का योग)	0.05
एंडोसल्फान अल्फा और बेटा आइसोमर्स का योग तथा एंडोसल्फान-सल्फेट	0.005
एंड्रिन	0.005
एचसीएच (सभी आइसोमर्स)	0.03 (संयुक्त सीमा) α 0.02 β 0.01
लिंडेन (γ -एचसीएच)	0.1
मिथाक्विसक्लोर	0.01
पीसीबी	0.01

(4) पाइरेथ्रोइड्स

यौगिक	एम आर एल
साइपरमेथ्रिन	0.05
डेल्टामेथ्रिन	0.05
पर्मैथ्रिन	0.05
एल्फा- साइपरमेथ्रिन	0.05

(च) निम्नलिखित एंटीबायोटिक्स और अन्य औषधीय सक्रिय पदार्थों का उपयोग फ़ीड के निर्माण, मुर्गी और मुर्गीपालन की दवा, या उत्पादन के किसी भी चरण में निषिद्ध होगा:

- क्लोरैमफेनिकॉल
- डाइमेट्रिडाजोल
- मेट्रोनिडाजोन
- नाइट्रोफुरन्स मेटाबोलाइट्स जिसमें 3-एमिनो-2-ऑक्सलिडिनोन (एओजेड), सेमी कार्बाज़ाइड (एसईएम), 5-मिथाइल-मोरफोलिनो-3, अमिनो-2 ऑक्लीडीडोन (अमोज) और नाइट्रोइमिडाज़ोल्स सहित 1-एमिनो-हाइड्रेशन, एंटीकोसीडियल शामिल है।

बशर्ते कि यदि आयात करने वाले देशों द्वारा निर्धारित एमआरएल इसमें निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक कठोर हैं, तो आयात करने वाले देशों द्वारा निर्दिष्ट एमआरएल का अनुपालन किया जाएगा।

(छ) "ताज़ा अंडे" स्वच्छ और स्वस्थ खोल और दरारें, लीक और मल संदूषण से मुक्त होंगे। टेबल अंडे साल्मोनेला, ई.कोली, एंटरोबैटेरिया के लिए अनिवार्य परीक्षण।

(ज) अंडा और अंडा उत्पादों के निर्यात के संबंध में निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और निगरानी) (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार गुणवत्ता, नियंत्रण, निरीक्षण और निगरानी के प्रकार को निर्दिष्ट करता है जो निर्यात से पूर्व इस तरह के अंडा और अंडा उत्पादों पर लागू किया जाएगा

टिप्पण :- (1) इस आदेश में कुछ भी संभावित क्रेता को अंडा और अंडों उत्पादों के वास्तविक नमूनों का भूमि या समुद्र या हवाई मार्ग द्वारा निर्यात पर लागू नहीं होगा, जिसका मूल्य समय-समय पर विदेश व्यापार नीति में निर्धारित अनुमत सीमाओं से अधिक नहीं होगा।

(2) इस आदेश में, -

- इस आदेश में 'अंडा उत्पादों' का तात्पर्य अंडों और उसके घटकों अथवा छिलकों और झिल्लियों को हटाने के पश्चात मिश्रण से प्राप्त उत्पाद जिसका उद्देश्य मानव उपयोग के लिए हो और जो आंशिक रूप से अन्य खाद्य

पदार्थों अथवा योगज द्वारा पूरक हो सकते हैं या वे तरल, गाढ़ा, सूखा, रवेदार, फ्रोजन, शीघ्र-फ्रोजन अथवा जमें हुए हो सकते हैं।

- (ii) 'अंडा' का तात्पर्य ताजे अंडे जिन्हें धोया या ड्राईक्लीन नहीं किया गया है और जिन्हें साप्ताहिक रूप से कम से कम एक बार एकत्र किया जाता है और उनकी पैकिंग और वर्गीकरण कार्य पैकिंग स्टेशन पर आने के बाद पहले कार्य दिवस में किया जाएगा।

[फा.सं. के-16012/15/2019-निर्यात निरीक्षण]

दिवाकर नाथ मिसरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

ORDER

New Delhi, the 15th September, 2021

S.O. 4368(E).—Whereas, for the development of export trade of India, certain draft order for superseding the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) number S.O. 2077, dated the 04th August, 1997 were published as required under section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 read with sub-rule (2) of the rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, section 3, sub-section (ii), dated the 22nd February, 2021 by the Government of India in Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) vide number S.O. 831 (E), dated the 22nd February, 2021 inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date of publication of the said draft Order in the Official Gazette;

And Whereas copies of the Gazette containing the said draft Order were made available to the public on the 22nd February, 2021;

And Whereas, the objections and suggestions as received from the public on the said proposal have been duly considered by the Central Government;

And, Whereas, it is necessary to maintain the highest quality standards and stipulate health requirements that would encompass the requirement of importing regulatory authorities;

And, Whereas, health requirements should be laid down for the production storage and transport of egg and egg products, and whereas, in particular, it is important that rules be laid down governing the approval of establishment;

And, Whereas, it is important also that the health requirements to be met by egg and egg products be laid down;

And, Whereas, it is the responsibility primarily of the processors to ensure that egg and egg products meet the health requirements laid down in this order and whereas, the Competent Authority shall by carrying out quality control, inspection and monitoring to ensure that processors comply with the above mentioned requirements; and whereas, the rules governing these quality control, inspections and monitoring shall take account into the demands of the international market;

And, Whereas, a random check shall be made to detect the presence of residues of substances liable to be harmful to human health;

And, Whereas, provisions should, therefore, be made for procedure for monitoring to ensure the above conditions of equivalence with reference to the requirements of the importing countries;

And, Whereas, Central Government nominated Competent Authority should ensure the effective compliance of the quality standards in the Country;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export Inspection Council (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, Department of Commerce published in the Official Gazette vide number S.O. 2077, dated the 4th August, 1997, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, is of the opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India hereby,-

- (a) notifies that the egg and egg products shall be subjected to quality control or inspection or both prior to export;
- (b) specifies that the type of quality control, inspection and monitoring shall be in accordance with the Export of Egg and Egg products (Quality, Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2021 as the type of Quality Control, Inspection and Monitoring which shall be applied to such egg and egg products prior to export;
- (c) recognises the specifications,-
- National Standard of the importing countries in absence of which codex standards of Codex Alimentarius Commission;
 - In absence of (i), specification prescribed in the Food Safety and Standard Authority of India Act, 2006 and rules and regulation made thereunder shall apply;
 - In the absence of (i) and (ii) above, contractual specifications between the foreign buyer and the exporters shall be applicable provided the same is not below the national standards;
 - In case of any egg and egg products for which no standard is available at (i) (ii) and (iii) above, the standard formulated for these products by the standing Committee of the following members shall be made applicable, namely:-

1.	Chairman, Export Inspection Council	Chairman
2.	Representative from Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority	Member
3.	Representative from Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Agriculture and farmer's Welfare	Member
4.	Representative from Food Safety and Standards Authority of India	Member
5.	Representative from Indian Egg Association	Member;
6.	Representative of Export Inspection Council	Member

- (d) prohibits the export of egg and egg products in the course of international trade unless it conforms to the standards applicable to it and each and every consignment of such egg and egg product meant for export is accompanied by a certificate of export worthiness issued by the Agency;
- (e) specifies the maximum residual limits (MRLs) for antibiotics, organochlorine compounds and pyrethroids in egg powder as given below-

(1)Antibiotics:

Antibiotics	Maximum residues limits
Erythromycin	150 µg/kg
Tylosin	200 µg/kg
Lincomycin	50 µg/kg
Neomycin	500 µg/kg
Colistin	300 µg/kg
Chlortetracycline	200 µg/kg
Oxyteracycline	200 µg/kg
Tetracycline	200 µg/kg
Spectinomycin	200 µg/kg
Tiamulin	1000 µg/kg
Josamycin	200 µg/kg
Oxolinic Acid	50 µg/kg

(2) Anti-parasitic agents piperazine derivatives:

Anti piperazine Agent	MRL
Piperazine	2000 µg/kg
Flubendazole	400 µg/kg
Amprolium	1000 µg/kg

(3) Organochlorine Compounds:

Compound	MRL (mg/kg)
Aldrin and Dieldrin combined expressed as dieldrin	0.02 (Combined limit)
Chlorothalonil	0.01
DDT (all isomers)	0.05 (Combined limit)
Dicofol (sum of p,p' and o,p' isomers)	0.05
Endosulfan (sum of alpha and beta-isomers and endosulfan-sulphate expressed as endosulfan)	0.005
Endrin	0.005
HCH (all isomers)	0.03 (combined limit) α0.02 β0.01
Lindane (γ-HCH)	0.1
Methoxychlor	0.01
PCB	0.01

(4) Pyrethroids:

Compound	MRL
Cypermethrin	0.05
Deltamethrin	0.05
Permethrin	0.05
alpha-cypermethrin	0.05;

(f) provides that the use of following antibiotics and other pharmacological active substances shall be prohibited in manufacture of feed, medication of chicken and poultry, or at any stage of production, namely:-

- (ii) Chloramphenicol;
- (iii) Dimetridazole;
- (iv) Metronidazole;
- (v) Nitrofurans Metabolites including 3-Amino-2-Oxalidinone (AOZ), Semi Carbazide (SEM), 5-Methyl-Morpholino-3-Amino-2-Oxalidinone (AMOZ) and 1-amino-hydantion Anticoccidials including nitroimidazoles:

Provided that if the MRLs fixed by the importing countries are more stringent than the limits herein specified, the MRLs specified by the importing countries shall be complied with;

- (g) provides that “Fresh Eggs” shall have clean and sound shell and free from cracks, leaks and fecal contamination. Mandatory testing for table eggs: Salmonella, E.Coli, Enterobacteriaceae;
- (h) specifies that the type of quality control and inspection shall be in accordance with the Export of Egg and Egg Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) (Amendment) Rules, 2021 as the type of quality control, inspection and monitoring which shall be applied to such Egg and Egg products prior to export.

Note:- (1) Nothing in this order shall apply to the export by land or sea or air of bonafide samples of egg and egg products to prospective buyers the value of which shall not exceed the permissible limits as laid down in the Foreign Trade Policy from time to time.

(2) In this order,-

(i) “egg” Products” means the Products obtained from eggs and their various components or mixtures thereof after removal of the shell and membranes, intended for human consumption and they may be partially supplemented by other foodstuffs or additives or they may be liquid, concentrated, dried, crystallized, frozen, quick-frozen or coagulated.

(ii) “egg” means the Fresh eggs which have not been washed or dry-cleaned and which are collected at least once weekly and shall be packed and graded not later than the first working day after arrival at the packing station.

[F.No. K-16012/15/2019-Export Inspection]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2021

का.आ. 4369(अ).—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अंडा एवं अंडों के उत्पादों के निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1997 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण के पहले किए गए अथवा किए जाने के लिए विलोपित कार्यों के संबंध में छोड़कर एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है ; नामतः -

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ – (क) इन नियमों को अंडा और अंडा उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मॉनीटरिंग) नियम, 2021 कहा जाएगा।

(ख) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषा: - इस अधिसूचना में, अन्यथा कोई और परिप्रेक्ष्य अपेक्षित न होने पर,

(क) “अधिनियम” का अर्थ है निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22);

(ख) “अनुबंध” का अर्थ है इन नियमों में संलग्न अनुबंध;

(ग) “बैच” का अर्थ है अंडा उत्पादों की मात्रा जिन्हें समान स्थितियों में तैयार किया गया है और विशेष रूप से एकल सतत परिचालन में उपचारित किया गया;

(घ) “सक्षम प्राधिकारी” का अर्थ है निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 7 के तहत मुंबई, कोलकाता, कोच्ची, दिल्ली एवं चेन्नई में स्थापित किसी भी निर्यात निरीक्षण अभिकरण में से एक;

(ङ.) “खेप” का अर्थ है खाद्य उद्योग द्वारा आगे के प्रसंस्करण के लिए या प्रत्यक्ष मानव उपयोग के प्रयोजन से एक गंतव्य को एक एकल प्रदायगी के लिए अंडा या अंडा उत्पादों की मात्रा;

(च) “गंतव्य का देश” का अर्थ है वह देश जहां भारत से अंडा उत्पाद प्रेषित किए जाते हैं;